

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 202

प्रकरण क्रमांक– M-PRO-2025-02831

आवेदक : श्रीमती सरस्वती शाही, पति-श्री रविन्द्र नाथ शाही, पता-साह भवन, अम्बेडकर नगर, गुड़ियारी, जिला-रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) श्री अमित अग्रवाल, पता-फार्च्युन बिल्डकॉन दौर तालाब के पास, महोबा बाजार, जिला-रायपुर (छ.ग.) (2) श्री सीताराम अग्रवाल, पता- राहे बरसाना, हीरापुर रोड, विश्वकर्मा मंदिर के पास, सर्वोदय नगर, महोबा बाजार, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/07/2025	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– आवेदिका पक्षकार स्वतः उपस्थित ।</p> <p>– अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना उपस्थित । वकालतनामा पेश किया गया ।</p> <p>आवेदिका द्वारा दस्तावेज की छायाप्रति पेश किया गया ।</p> <p>अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया ।</p> <p>उभय पक्ष को सुना गया । आवेदिका द्वारा अपने मकान से आने-जाने के लिये मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में शिकायत किया गया कथन किया ।</p> <p>आवेदिका आबंटिती नहीं है और अनावेदक प्रमोटर के कॉलोनी से संबंधित नहीं है । आवेदिका का शिकायत अपने स्वामित्व की स्वतंत्र मकान से मार्ग अवरुद्ध करने से संबंधित है । इस प्रकार के विषय-वस्तु पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को नहीं है । सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । अतः अनावेदक पक्ष का प्रारंभिक आपत्ति से सहमत होकर आवेदिका का आवेदन खारिज किया गया । प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे ।</p> <p style="text-align: center;">सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	